Court F.R. 03/2026

तारीख हुक्म	**न्यायालयः अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी** **एफ आई आर संख्या 480/2025** **बरधीलाल बनाम राधे उर्फ राधाकिशन बैरवा** हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
दिनांक 06.01.2026	अभियोजन अधिकारी ने थाना सदर बून्दी की एफआईआर सं. 480/2025, धारा 318(4), 351(2), 316(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 में अन्तिम प्रतिवेदन अदम वकू (सिविल नेचर) में पेश किया है। जिस पर कार्यालय की रिपोर्ट ली गई। बाद कार्यालय रिपोर्ट एफ. आर. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफ.आर. दर्ज रजिस्टर हो। परिवादी बरधीलाल आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित है, जिसने प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाही है। इस पर एफ.आर. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। परिवादी की तहरीर पर थाना सदर बून्दी में एफ.आई.आर. सं. 480/2025, धारा 318(4), 351(2), 316(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 में दर्ज हुई थी। जिसमें बाद अनुसंधान अन्तिम प्रतिवेदन अदम वकू (सिविल नेचर) में पेश हुई है। सुना गया। एफ.आर. पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत अंतिम प्रतिवेदन में अनुसंधान अधिकारी ने पूर्ण अनुसंधान किया है। पुलिस द्वारा प्रस्तुत एफ.आर. स्वीकार की जाती है। केस डायरी पी.ओ. को लौटावे। पत्रावली फैसल आदेश हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 14.03.2026 को पेश हो। आतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बून्दी (राज०) 14/03/26 यह पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत मे फैसल आदेश हेतु रखी गई। पत्रावली मे अब कोई कार्यवाही शेष नही है पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल अभिलेखागार हो। अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत बेंच नं.....3...	प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता हूँ। बरधीलाल परिवादी सदस्य